# कार्यालय लोकपाल (मनरेगा)
## पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

मनरेगा वाद संख्या–26/2017 श्री राजू कुमार ठाकुर बनाम पंचायत रोजगार सेवक, मुखिया ग्राम पंचायत राज–तेजपुरवा पचांयत तकनीकी सहायक, कनीय अभियंता एवं कार्यक्रम पदाधिकारी, पहाड़पुर।

### वाद का वर्णन

परिवादी श्री राजू कुमार ठाकुर, पूर्व मुखिया, ग्राम पंचायत राज–तेजपुरवा, प्रखंड–पहाड़पुर द्वारा आवेदन दिया गया है कि मनरेगा में (1) वार्ड नं0–11 में रमन पासवान के घर से लेकर मिस्त्री साह के घर तक ईंट सोलिंग कार्य में तीन नंबर ईंट का प्रयोग किया गया है। (2) भिखारी राम के घर से लेकर काशी साह के घर तक पी0सी0सी0 कार्य बिना ईंट सोलिंग का तैयार किया गया एवं बिना कार्यकारणी के कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा भुगतान किया जा रहा है।

### कार्रवाई/अनुपालन

अतः उक्त आवेदन के आलोक में संज्ञान लेकर एवं वाद दायर कर पंचायत रोजगार सेवक एवं मुखिया तेजपुरवा, कनीय अभियंता और कार्यक्रम पदाधिकारी, पहाड़पुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, जिसके अनुसार (1) योजना सं0–27/16–17, योजना का नाम–रमन पासवान के घर से भीखारी साह के घर तक ईंट सोलिंग कार्य प्राक्कलित राशि–9,95,000 रु0 मापी पुस्त–9,72,984.00 एवं कटौती की राशि–21,494.00रु0 कार्यक्रम पदाधिकारी, पहाड़पुर द्वारा निरीक्षण क्रम में ईंट सोलिंग का कार्य कुछ जगह पर गुणवत्तापूर्ण नहीं पाया गया, जिसके फलस्वरुप उन्होने अपने कार्यालय के पत्रांक–56 दिनांक–25.03.17 के द्वारा ईंट सोलिंग के कार्य को तत्काल रोक लगाते हुए कनीय अभियंता तथा पंचायत तकनीकी सहायक के देख–रेख में गुणवत्ता पूर्ण ईंट लगाने का निर्देश दिया गया। कनीय अभियंता ने अपने प्रतिवेदन में लिखा है कि गुणवत्तापूर्ण ईंट अर्थात् 1 नं0 ईंट से पूर्व के लगे हुए 2 नं0 ईंट को बदल दिया गया। लेकिन सड़क से लगातार आवागमन के कारण 20 प्रतिशत ईंट बी ग्रेड को प्रतिस्थापन नहीं किया जा सका।
कनीय अभियंता द्वारा जो ईंट नहीं बदला जा सका उसका 100 बी ईंट की 20 प्रतिशत राशि 21494.00रु0 कटौती कर मापीपुस्त में दर्ज की गई, जिसका सत्यापन कार्यपालक अभियंता, मोतिहारी के द्वारा की गई लेकिन गुणवत्ता की जाँचकर कार्य की पूर्णता का प्रमाण–पत्र मापी पुस्त में अंकित नहीं किया गया।

(2) परिवादी द्वारा दूसरी योजना में योजना का नाम गलत दिया गया है, जबकि वास्तव में योजना सं0–12/2016–17 वार्ड नं0–5 में भिखारी राम के घर से काशी साह के घर तक सोलिंग एवं पी0सी0सी0 कार्य प्राक्कलित राशि 9,97,500.00 रु0 अभिकर्त्ता नित्यानंद राय एवं मापीपुस्त के अनुसार 9,80,068.00 है।

ग्राम सभा से पारित योजना में ईंट सोलिंग सहित पी0सी0सी का कार्य की योजना पारित है, इसलिए सूचनापट्ट पर ग्राम सभा से पारित योजना का उल्लेख है। योजना के प्राक्कलन के अनुरुप ईंट सोलिंग के स्थान पर झामा मेटल (ईंट) का टुकड़ा डालकर उसके ऊपर पी0सीसी0 सड़क बना हैं।

### विचारणीय बिन्दु

1. क्या परिवादी द्वारा वर्णित मनरेगा योजनाओं में अनियमितता की शिकायत सही है ?

लोकपाल मनरेगा पूर्वी चम्पारण

## निष्कर्ष / निर्णय

परिवादी को दी गई नोटिस में मात्र दो बार ही उपस्थित हुए जिसमें उन्होने कोई साक्ष्य एवं गवाह प्रस्तुत नहीं किये। यह भी विदित है कि परिवादी भूतपूर्व मुखिया है। वे न तो आम नागरिक लाभुक या मनरेगा मजदूर ही है। इसमें आपसी रंजिश या राजनितिक द्वेष भी हो सकता हैं। (1) परिवाद की सुनवाई के क्रम में प्रस्तुत की गई लेखा अभिलेखों एवं कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत पत्रावली एवं विस्तृत जाँच प्रतिवेदन के अनुसार परिवाद से पूर्व में ही की गई गुणवत्ता की जाँच में पाया गया था कि कम्पनी का ईंट योजना में आपूर्ति की गई थी। बाबा कम्पनी एवं जे0 के0 कंपनी, जिसमें जे0के0 कम्पनी का ईंट कमजोर था, जिसे उनके द्वारा बदलवाया गया। कुछ ईंट नहीं बदला जा सका उसका अन्तर की राशि 21494.00 मापीपुस्त में घटा दी गई थी।

2. प्रतिवेदन के अनुसार योजना सं0 12/2016–17 के अनुसार सोलिंग के स्थान पर प्राक्कलन के अनुसार झामा मेटल नीचे डालकर उसके उपर पी0सी0सी0 सड़क का निर्माण किया गया था।

## पंचाट (अधिनिर्णय)

1. योजना सं0–27/2016–17 में कटौती गई राशि के अतिरिक्त 20 प्रतिशत और 2 नंबर का ईंट मानते हुए अन्तर की राशि रु0–21494.00 संबंधित दोषी व्यक्ति से वसूल की जाय या भुगतान बाकी हो तो उतनी राशि कटौती कर भुगतान की जाय।
   इस प्रकार पूर्व में काटी गई 20 प्रतिशत एवं पुनः काटी जाने वाली 20 प्रतिशत कुल 40 प्रतिशत दो नंबर ईंट का अन्तर की राशि 21494+21494=कुल योग–42988.00 रु0 की सूचना ए0टी0आर0 के द्वारा दी जाय।
2. योजना सं0–12/2016–17 में योजना के नामकरण के अन्तर को समाप्त करने हेतु घटनोत्तर स्वीकृति (वास्तव में जो कार्य प्राक्कलित है) ग्राम सभा से एवं कार्यकारणी से ले ली जाय, ताकि योजना में एकरुपता हो। नियमतः एकरुपता होनी चाहिए वरना भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। भविष्य में इस पर ध्यान दिया जाय एवं योजना के नाम से ईंटकरण हटा दिया जाय।

30/6/18

लोकपाल(मनरेगा),
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक–27/दिनांक–30.6.18

प्रतिलिपि :– **सचिव**, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– **जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा)–सह–जिला पदाधिकारी**, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– **उप विकास आयुक्त**, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– **कार्यक्रम पदाधिकारी**, पहाड़पुर/पं0रो0से0, तेजपुरवा एवं परिवादीगण को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

30/6/18

लोकपाल(मनरेगा)
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

O/C